

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1624 / 1सी0 (वन)

दिनांक 10/11 / 2017

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/12840 /2015** नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ई०डी०एस० दिनांक 25.10.2017 एवं भारत सरकार के ई०डी०एस० दिनांक 16.10.2017

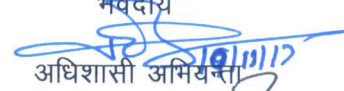
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	The reply to point No. 3 is not complete as no clarification has been provided regarding number of trees involved, which is shown as 51 at online Part-II but as 36 in the enumeration list. Further, in the scheme provided for planting 10 times the number of trees proposed to be felled by way of CA, the number of trees involved is mentioned as 94 and scheme given is for planting of 940 trees. State Government may clarify exact number of trees to be felled and correct all these documents accordingly.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
2	Density and NPV may also be reviewed if required in view of corrections suggested at point No.1 above. Eco Class may also be reviewed	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	Reply to the issues raised in this office letter dt. 30-05-2016 is also not provided, which may be provided now.	इस बिन्दु का उत्तर इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1456/1सी० वन दिनांक 8.9.2016 द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है। संलग्न- 1- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
4	Original hard copy of FRA certificate alongwith original or attested copies of proceedings of meeting of District Level Committee, Sub Divisional Level Committee and Village Level Committee under FRA may be submitted	एफ०आर०ए० के सभी प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। संलग्न 2- एफ०आर०ए० के सभी प्रमाण पत्र।
5	GIS software generated geo-referenced digital map for the area proposed for diversion showing geo-coordinates at an interval of 200-300 m and at all turning points may be uploaded online at para- C (iv) Part-I. Location of muck dumping sites may also be shown using geo-coordinates. Original hard copy of the map may be submitted for record purpose.	GIS software generated geo referenced digital map संशोधित कर प्रत्येक 200 से 300 मी० पर coordinates एवं मकडिस्पोजल बिन्दु दर्शा कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 3:- डिजिटल मैप टोपोगीट मैप

अतः अनुरोध है अपने स्तर से भी सम्बन्धित बिन्दुओं का निराकरण कर एफ०आर०ए० एवं मानचित्र मूल में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1456/1सी0 (वन)

दिनांक 8/9/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840/2015 नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ई०डी०एस० दिनांक 05.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
1	In the reply to point No. 3 of EDS, the details of the technical and geographical reasons for not opting alternet have not been given.	उक्त मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण का चयन किया गया है। यह संरेखण डिजिटल मैप में नीली रेखा से दर्शाया गया है। नीली रेखा के अन्त में भवन आने तथा मोटर मार्ग हेतु उपयुक्त स्थल न मिल पाने के कारण कम दूरी तक ही वैकल्पिक संरेखण दर्शाया गया है। संलग्न- डिजिटल मैप (पेज नं० -2)
2	In the reply to point No. 4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of the shape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. But, the CD has not been received in this office so far.	Shape file की सीडी प्राप्ति की साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। जिसकी प्राप्ति आपके कार्यालय से ली गयी है। संलग्न- सी०डी० प्राप्ति की रसीद (पेज नं० -3)
3	With reference to the reply submitted against point No. 6 & 7 of EDS, this is to be stated that the scheme for planting of 940 seedlings of Banj & Moru etc. has been submitted now. The estimated amount is calculated as Rs. 21,53,882/- only which appears to be very much on higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected affected trees is shown as 51 in the online Part-II and 36 trees above 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of project affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh.	इस बिन्दु से सम्बन्धित उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न- ज्ञाति रसीद

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

FORM-1**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli**

No---

Dated-20.5.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.170 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Nauti-Chatoli motor road up to Jakhet" in Chamoli district falls within jurisdiction, Bhatgwali village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.170 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Bhatgwali' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.5.2015.. at time 17.00/18.00 at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.730 hect for the construction of "Extension of Nauti-Chatoli motor road up to Jakhet" and forest land 0.170 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 20.5.2015

a

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

**जिलाधिकारी
चमोली**

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में नौरी-छातेली मोर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरु स्थिजल हेतु 0.030 हे. कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिवाड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिवाड़ी

उपखण्ड आदिवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौरी-छातेली मोर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु (X) हे० आरक्षित वन भूमि 0.140 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.030 हे० सिविल वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.170 हे० वन भूमि) का लो. नि. वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिवाड़ी) की दिनांक 10/05/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|------------|---------------------------|--------------|
| 1- | श्री _____ | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री _____ | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री _____ | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री _____ | बी०डी०सी० क्षेत्र _____ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में नौरी-छातेली मोर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरु स्थिजल परियोजना हेतु 0.030 हे० वन भूमि कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

डी०एस० काहा
तहसील उप निरीक्षक
तहसील-आदिवाड़ी
जिला-चमोली

दैदारनाथ वन जीव प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से गाननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैंक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिवासी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नैरी - हातेली मोरगुहा को अवेदन निर्माण हेतु 0.170 हे० वन भूमि लो. नि. वि. जे. चो. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जिला-चमोली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत शा. भु. धो. में नौदी-हातेली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मूक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे. कुल 0.170 हे. सिविल श्रम का लो. नि. वि. को दस्ताना न्याय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भटवाली
तहसील आदिवासी, जिला चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत नौदी-हातेली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (—~~—~~ हे० आरक्षित वन भूमि, 0.140 हे० सिविल सोयम भूमि, एवं मूक डिस्पोजल वन पंचायत भूमि —~~—~~ हे०) अर्थात् कुल 0.170 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. हेतु 0.030 हे. जोच विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन-मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटवाली द्वारा दिनांक 21.12.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भटवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.170 हे. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / मानव
ग्राम सचिव मानव
ग्राम सचिव मानव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

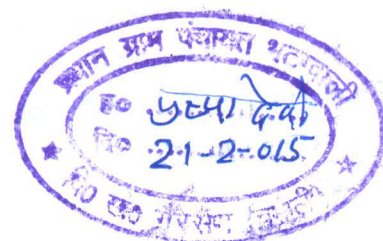
दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अरवाली

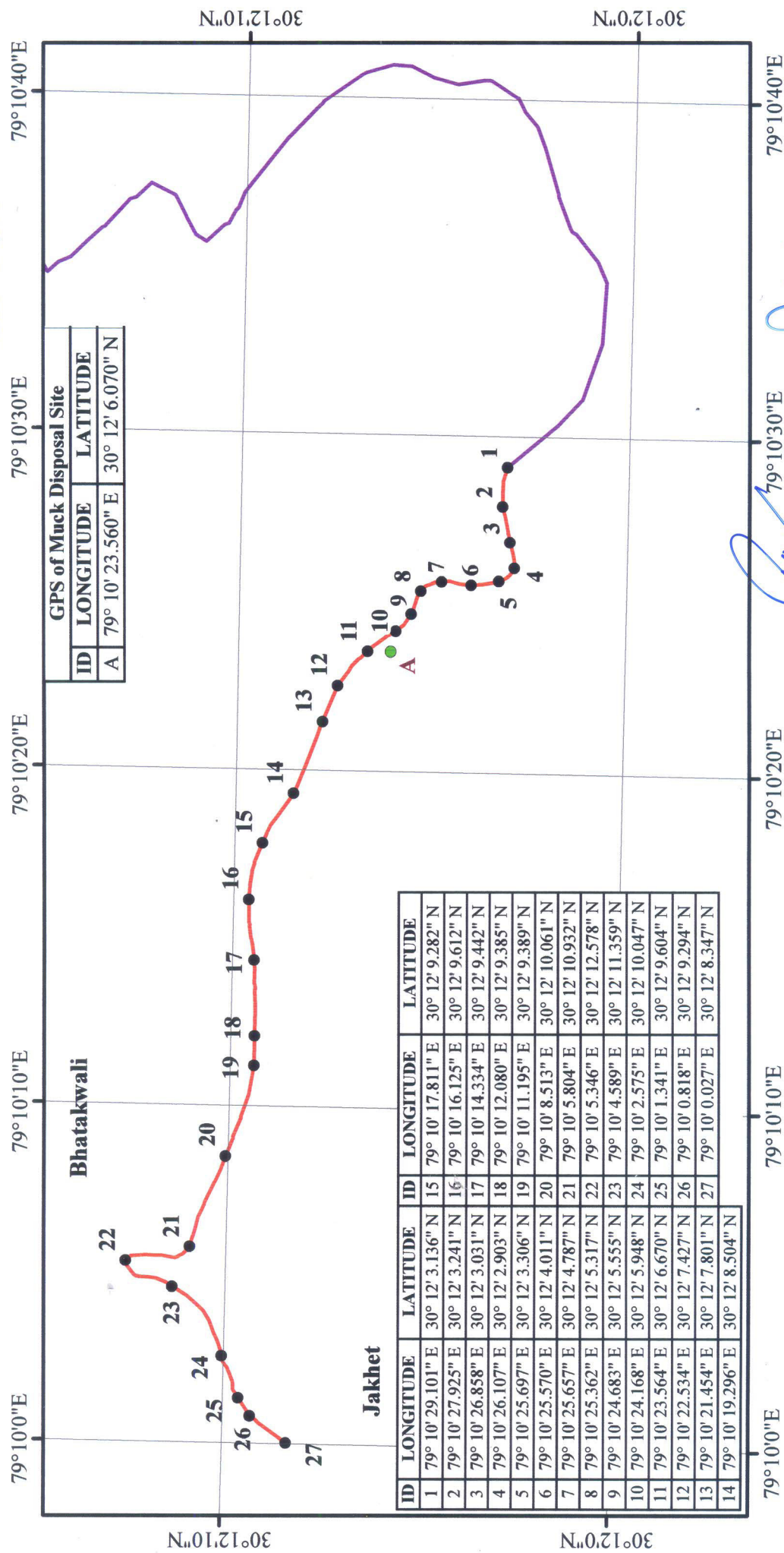
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	प्रकाश नवनी 5/0 प्रेमवत्स	0.4.4.4.4
	द्वारा प्रसाद 5/0 अदमोहन	0.4.4.4.4
	आनन्दसिंह 5/0 राजगोपाल	0.4.4.4.4
	दरमानसिंह 5/0 अक्तावत	0.4.4.4.4
	गोरसिंह 5/0 अदमसिंह	0.4.4.4.4
	चर्कसिंह 5/0 अदमसिंह	0.4.4.4.4
	लक्ष्मणसिंह 5/0 सोहनसिंह	0.4.4.4.4
	आलमसिंह 5/0 तुगीसिंह	0.4.4.4.4
	तुगीनसिंह 5/0 मथुरासिंह	0.4.4.4.4
	अदमसिंह 5/0 विक्रमसिंह	0.4.4.4.4
	भोलासिंह 5/0 भोलासिंह	0.4.4.4.4
	अमरसिंह 5/0 भोपालसिंह	0.4.4.4.4

ह0/-

ग्राम प्रधान



Scale - 1:4,500



- GPS Coordinate
- Muck Disposal Point
- Proposed Road
- Nauti-Chhatoli-Kal

सहायक अभिलेखा
अस्थाई खण्ड लोअनिअदि०
गौबरा (समोरी)

वृष वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
घनपुर वन क्षेत्र, गौचरी

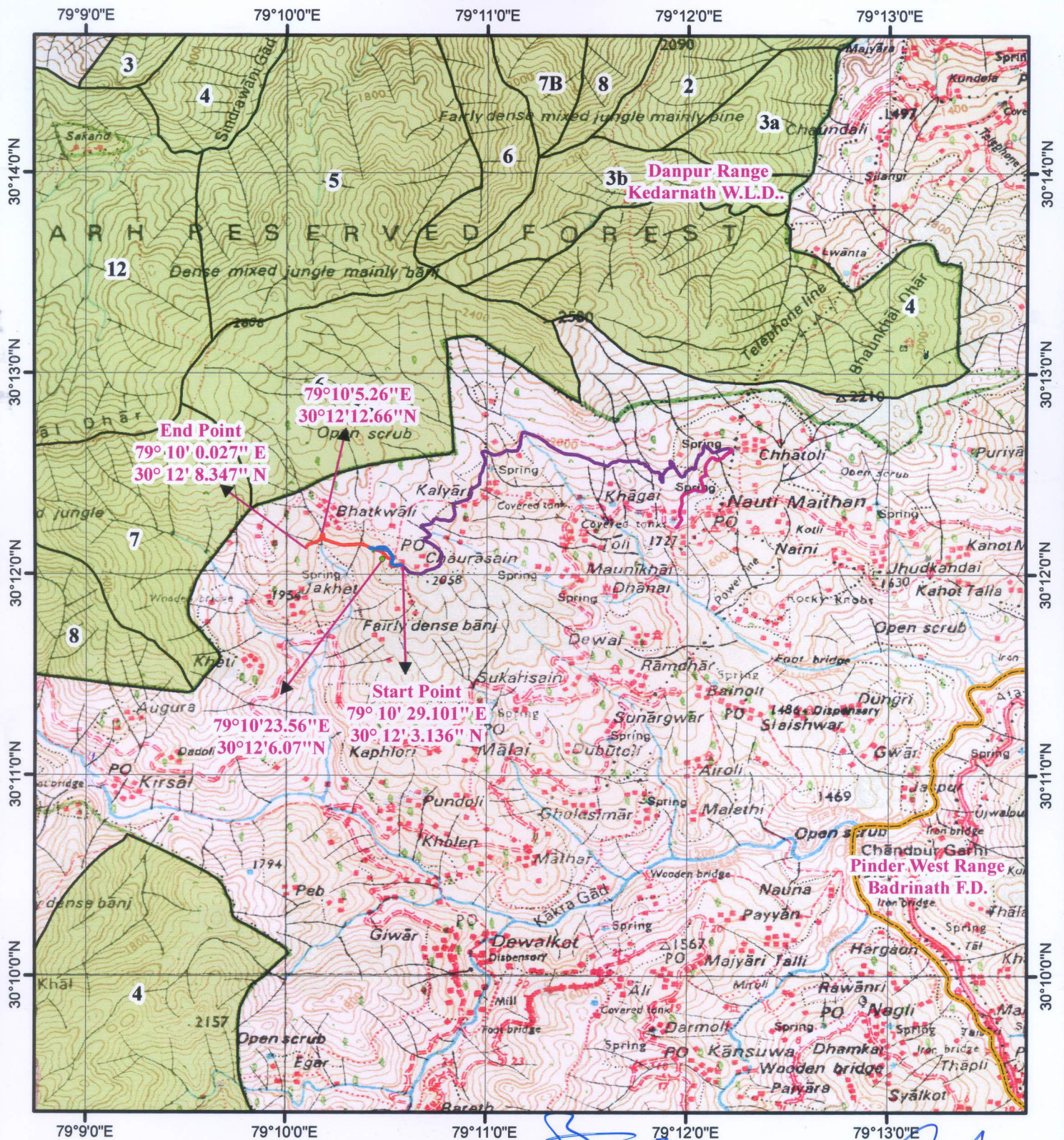
Nauti-Chhatoli-Kalyani-Chaurasain Motor Road

अ० खण्ड लो० दि० वि०
गौचर / चमाली

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में नौटी – छातोली मोटर मार्ग का जखेत तक विस्तार हेतु (ल0 01.00 किमी0)



0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Nauti-Chhatoli-Kalyani-Chaurasain Motor Road
- Forest Reaserve Area
- Forest Reaserve Boundary
- Forest Division Boundary
- Muck Dumping Zone

आदेशासी अधिकारी

अ0खण्ड ल00नं. वि

नौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी

वनपुर वन क्षेत्र प्रोचर

अस्थाई का नौचर (चमोली)

वन संरक्षक
नौचर वन क्षेत्र प्रोचर

नौचर